राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2015/4941 जयपुर,दिनांक: 9.12.15

—: आ दे श :—

अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित पंचायत प्रसार अधिकारियों के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर इनके नाम के सम्मुख दिनांक को अपरान्ह से राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी, मय पदस्थापित स्थान	सेवानिवृति तिथि
1	श्री भंवरसिंह, पं.स. कुम्भलगढ़ (राजसमंद)	29.02.2016
2	श्री गोविन्द चौबे, पं.स. गंगरार (चित्तौडगढ़)	29.02.2016

उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के वर्तमान पदस्थापित संबंधित कार्यालयो से प्राप्त विभागीय जॉच बकाया नहीं होने के प्रमाण पत्रो के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरूद्धः—

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम—16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :—

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. राजसमंद को उनके पत्रांक 1472 दिनांक 04.10.2015 एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.पं. चित्तौडगढ को उनके पत्रांक 1193 दिनांक 19.11.2015 के कम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी का विभागीय जॉच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रस्तावो के आधार पर किया गया है। अतः कार्मिक के सेवानिवृति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस विभाग को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुम्भलगढ (राजसमंद) / गंगरार (चित्तौडगढ)
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी. कम्प्यूटर शाखा (मुख्यालय), को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावें।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त